

HKC and KIJndia

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1289]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2010/आषाढ 3, 1932 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2010/ASADHA 3, 1932

No. 1289]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2010

का.आ. 1521(अ).- केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथावर्णित सेक्शन के पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :----

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग	संक्शन	लंबाई किलोमीटर में
सं		
(1)	(2)	(3)
29	उत्तर प्रदेश राज्य	2.225 कि.मी. से
	में वाराणसी-गोरखपुर	208.500 कि.मी. तक
	सेक्शन	
86	उत्तर प्रदेश राज्य में	7.43 कि.मी. से 130.100
	कानपुर से कबराई	कि.मी. तंक
	संक्शन	
91	उत्तर प्रदेश राज्य में	140.200 कि.मी. से
	अलीगढ़ से कानपुर	419.000 कि.मी. तक
	सेक्शन	
93	उत्तर प्रदेश राज्य में	0.000 कि.मी. से 79.00
	आगरा से अलीगढ	कि.मी. तक
	सेक्शन	
	[फा. सं. एनएच-14013/4/2010-पीएंडएम]	

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2010

S.O. 1521(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches specified in column (3) of the Table below, of the Section as mentioned in column (2) of the said Table of the National Highway as specified in column (1) of the aforesaid Table, to the National Highways Authority of India, namely : –

TABLE		
National Highway No.	Section	Stretches in Kilometres
(1)	(2)	(3)
29	Varanasi-Gorakh- pur section in the State of Uttar Pradesh	From km. 2.225 to km. 208.500
86	Kanpur to Kabrai section in the State of Uttar Pradesh	From km. 7.43 to km. 130.100
91	Aligarh to Kanpur section in the State of Uttar Pradesh	From km. 140.200 to km. 419.00
93	Agra to Aligarh section in the State of Uttar Pradesh	From km. 0.00 to km. 79.00

[F. No. NH-14013/4/2010-P&M] S. S. GULIA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2010

का.आ. 1522(अ).– केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, 24 क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"24 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2क सं. 7, सं. 11 उत्तर प्रदेश [17.756 कि.मी. से 42.525 कि. मी. राज्य सरकार।" तक (आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा) को छोडकर], सं. 19, सं. 24 [27.62 कि.मी. से 488 कि.मी. तक (गाजियाबाद सहित मुरादाबाद बरेली-सीतापुर लखनऊ मुरादाबाद बाईपास और 180.325 कि.मी. पर आर.ओ.बी. को छोडकर)] सं. 24क, सं. 27 [0.000 कि.मी. (रा.रा.सं. 2 का 211.700 कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (रा.स. 27 का नया संरेखन) को छोडकर] सं. 28ख, सं. 29 [गोरखपर-फरेंदा-सोनौली- सेक्शन और 2.225 कि.मी. से 208.500 कि.मी. (वाराणसी -गोरख-पुर सेक्शन)] सं. 56, सं. 58 [52.250 कि.मी. से 152.00 कि.मी. को छोडकर (मेरठ-मूजफ्फर-नगर-उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा)] सं 72क, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [90.00 कि.मी. सं 103.00 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा सं झांसी तक खंड)], सं. 76, सं. 86 [7.43 कि.मी. से 130.100 कि.मी. को छोडकर (कानपुर से कबराई खंड को छोडकर)] सं. 87 (कि.मी. 8 पर छोटा पुल और कि.मी. 30.050 पर बड़े पुल को छोड़कर), सं. 91 [कि.मी. 23.600 से कि.मी. 419.000 को छोडकर (गाजियाबाद अलीगढ़ कानपुर खंड) | सं. 91क, सं. 92, सं. 93 [0.00 कि.मी. से 79.00 कि.मी. को छोड़कर (आगरा-अलीगढ)] सं. 96, सं. 97 सं. 119, सं. 231, सं. 232, सं. 232क, सं. 233 और सं. 235 जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है)। | फा. सं. एनएच- 14013/4/2010 - पीएंडएम] एस. एस. गुलिया, उप सचिव पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 486(अ), तारीख 26 फरवरी, 2010 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2010

S.O. 1522(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping. Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August. 2005, namely:--

So much of National Highways State Government No. 2A, No.7. No.11 Jexcluding of Uttar from km, 17.756 to km, 42.525 Pradesh". (Agra-Up/Rajasthan Border)], No.19. No. 24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad-Moradabad- Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad by-passes) and R.O.B at km. 180.325], No.24A, No.27 [excluding from km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No. 2) to km. 5.410 (new alignment of NH 27)]. No. 28B, No. 29 [excluding Gorakhpur Pharenda-Sonauli section and from km, 2,225 to km, 208,500 (Varanasi-Gorakhpur section), No.56, No. 58 [excluding from km, 52.250 to km, 152.00 (Meerut-Muzaffarnagar-Uttar Pradesh/ Uttarakhand Border)], No. 72A, No.73, No.74, No. 75 [excluding from km, 90.00 to km. 103.00 (section from Madhva Pradesh/ Uttar Pradesh Border to Jhansi)]. No.76. No. 86 [excluding from km. 7.43 to km. 130. 100 (Kanpur to Kabri section)], No. 87(excluding a Minor bridge at km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No.91 lexcluding from km. 23,600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)]. No. 91A. No.92, No.93 [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (Agra-Aligarh Section), No. 96, No. 97, No.119, No. 231, No. 232, No. 232A, No. 233 and No. 235 as are situated within the State of Uttar Pradesh.

[F. No. NH- 14013/4/2010-P&M]

S.S.GULIA, Dv. Secv.

Foot Note : The Principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 486 (E), dated the 26th February, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.